

नम्बर व त  
अहकाम ज  
हुकम की त  
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

2-617 कबील उन्नयपत्र उपस्थित है। विभाजन स्कीम  
प्रस्तुत है। पत्रावली दि० 9-617 को राजस्व कैम्प  
अहमदपुर पर पेश हो।

उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

3-617 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
कैम्प अहमदपुर पर पेश हुई। वारी कैलाशचन्द  
उपस्थित है। वारी नायक तहसीलदार गंगापुर से  
प्राप्त विभाजन स्कीम से सहमत है। अतः  
पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का  
विभाजन किया जाता है :-

① कैलाशचन्द पुत्र सांवलिया, वैरवा निवासी  
स्वर्तला राधिन इलाहकाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी  
की रवातेदारी में भूमि ख० नं० 275 रकबा  
80 सयर ग्राम सलेमपुर रहेगी।

② रामदयाल, रामगोपाल, हजारी, किशोर,  
गिरज पिता पैमा हिस्सा  $\frac{5}{6}$  राधिन स्टेट  
बैंक आफ बीकानेर सड्ड जयपुर शाखा  
गंगापुर सिटी, ग्यारसी नपालि स्व० पैमा  
जाति रैगर निवासी सलेमपुर हिस्सा  $\frac{1}{6}$   
की रवातेदारी में भूमि ख० नं० 276  
रकबा 75 सयर ग्राम सलेमपुर रहेगी।

इसी अनुसार खाते व लजाने पृथक पृथक दर्ज  
किया जाकर रेकार्ड में दुरुस्ती को जावे।  
विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।  
पचा डिफ्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलेशुमार होकर नम्बर  
से कम हो एवं काद तकमीम दासिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार ब्रामा)  
इडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(अबूलाल जाट)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
स्व  
उप जिला कलेक्टर

कैलाशचन्द

97783  
30-4-17

नम्बर  
अहमद  
हुक्म  
में

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर

पीठासीन अधिकारी—: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दस्तावेज नं. - 2/2017

वादी की ओर से वादी कैलाशचंद की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नहीं उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 9.6.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और कोई बात नहीं दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार पक्षकारो के मध्य निम्न भूमि का विभाजन किया जाता है—


कैलाशचंद पुत्र सावलिया, बैरवा निवासी खूटला राहिन इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 275 रकबा 80 एयर ग्राम सलेमपुर रहेगी।

बाबूलाल, रामगोपाल, हजारी, किशोर, गिर्राज पिता पैमा हिस्सा 5/6 राहिन स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी, ग्यारसी पत्नी स्व. पैमा जाति रैगर निवासी गंगापुर हिस्सा 1/6 की खातेदारी में भूमि ख0न0 276 रकबा 75 एयर ग्राम सलेमपुर रहेगी।

इसी अनुसार खाते व लगान पृथक दर्ज किया जाकर रेकार्ड में दुरुस्ती की जावे। निम्न स्कीम एवं राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगा।

यह आज तारीख 9.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी जाती है।



  
बाबूलाल जाट  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
दस्तावेज के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय निष्पत्ति की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उनवान

कैलाश चंद पुत्र सावलिया, बैरवा निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी  
बनाम

—वादी

1. रामदयाल पुत्र पैमा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. रामगोपाल पुत्र पैमा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. हजारी पुत्र पैमा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. किशोर पुत्र पैमा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. गिर्राज पुत्र पैमा, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. शाखा प्रबधक, एस.बी.बी.जे. शाखा गंगापुर सिटी
7. शाखा प्रबधम, इलाहवाद बैंक, शाखा गंगापुर सिटी
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०मा०)

गोमान पीट

प्य न

करण संख

पर्युक्त प्रव

है कि उ

अब हमारे

भार आपस

विन

दि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

वि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)  
केम्प कोर्ट का स्थान :- गंगापूर

*गंगापूर*

—वादी

**राजीनामा प्रपत्र**

श्री केलाशा चन्द पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 9/6/17

व्य. अहमदपुर केलाशा-चन्द बनाम रामकृष्णल शर्मा

संख्या :- 2/17 अन्तर्गत धारा 53, 188 R.J. Act

—प्रतिवादीगण

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री केलाशा-चन्द पुत्र सौवलिमा

है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो  
अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

मैं आपसे राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :- मैं उपरोक्त उनवानी प्रकरण  
विमजग-ल्वीम अहमदपुर इलाका नम्बे 18/201  
दिनांक 09/06/17

मैं शीघ्र से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- 1. केलाशा चन्द
- 2. ....
- 3. ....

- प्रतिवादी पक्ष 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

सुबोधन  
हस्ताक्षर  
नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

मैं, केलाशा-चन्द एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी रामकृष्णल शर्मा  
इस सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना  
आपसे राजीनामा हस्वखाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

अनीश कुमार शर्मा (ह0 सदस्य)  
एडवोकेट सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

3  
रामकृष्णल शर्मा  
पीठासीन अधिकारी  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

शां०२६  
३  
९-६१७  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान अहमदापुर

नम्बर मुकदमा 2/17

उत्तवान मुकदमा कैलाश चन्द

बनाम

शामसुल कौरी

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा  
करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/  
अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक  
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता  
है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान अहमदापुर

दिनांक 9/6/17

कैलाश चन्द

कैलाश चन्द